रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGD. No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2014/अग्रहायण 3, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 147
No. 151] DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2014/AGRAHAYANA 3, 1936 [N.C.T.D. No. 147

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस (II)/स्थापना विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2014

फा. सं. 8/319/2014/गृह पुलिस–II/9526.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74–यूटीएल (आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, थाना बहादुरगढ़, हरियाणा में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए/406/506/34 के अन्तर्गत प्राथमिकी संख्या 353/1999 प्रकरण को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में हरियाणा राज्य की ओर से वाद के संचालन के लिये श्री मयंक त्रीपाठी, सहायक लोक अभियोजक को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री मयंक त्रीपाठी को देय शुल्क हरियाणा राज्य के साथ परामर्श करके यथा समय निपटान किया जाएगा।

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 24th November, 2014

F. No. 08/319/2014/HP-II/9526.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Mayank Tripathi, Assistant Public Prosecutor, as Special Public Prosecutor to conduct case FIR No. 353/1999 under section 498A/406/506/34 IPC, P.S. Bahadurgarh, on behalf of the State of Haryana, in the Court of competent jurisdiction. Fee payable to Shri Mayank Tripathi, Assistant Public Prosecutor shall be settled in due court in consultation with the State of Haryana.

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2014

फा. सं. 8/486/2014/गृह पुलिस–II/9514.–गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74–यूटीएल (आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, थाना तिलक नगर, नई दिल्ली में धारा 109/201/218/409/120ख के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 207/2006 तथा सक्षम न्यायालय के क्षेत्र में राज्य की ओर उक्त प्राथमिकी से उत्पन्न अन्य मामलों से संबंधित प्रकरण के संचालन हेतु श्री राजीव मोहन, एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं। इस मामले में श्री अभिमन्यु कम्पानी, एडवोकेट द्वारा सहायता की जाएगी। श्री राजीव मोहन, एडवोकेट को देय शुल्क निम्न प्रकार होगा :–

1.	वास्तविक सुनवाई के लिये प्रभार	7500/–रुपये
2.	प्रति उपस्थिति प्रभार	1500/–रुपये
3.	जूनियर शुल्क	1500/–रुपये
4.	उच्च न्यायालय उपस्थिति प्रभार	7500.00+2500.00/–रुपये

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. के. आहुजा, उप–सचिव (गृह)

Delhi, the 24th November, 2014

F. No. 08/486/2014/HP-II/9514.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Rajiv Mohan, Advocate, as Special Public Prosecutor assisted by Shri Abhimanyu Kampani, Advocate to conduct case F.I.R. No. 207/2006 under sections 109/193/201/218/409/120B, P.S. Tilak Marg, New Delhi and other related matters arising out of the said F.I.R., on behalf of the State, in the Court of competent jurisdiction. Fee payable to Shri Rajiv Mohan, Advocate shall be as under :—

i. Charges for effective hearing	--	Rs. 7,500-00
ii. Charges per appearance	--	Rs. 1,500-00
iii. Junior Fees	--	Rs. 1,500-00
iv. High Court appearance charges	--	Rs. 7,500-00 + 2,500-00

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

R. K. AHUJA, Dy. Secy. (Home)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 नवम्बर, 2014

फा. सं. डी.सी/ओपीएस/टीपीटी/285/2014/232.–जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमवली, 2014 का संशोधन करने के लिये कुछेक नियमों का प्रारूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 16-06-2014 की अधिसूचना संख्या DC/OPS/Tpt/285/2014/110 के अनुसार दिल्ली राजपत्र भाग–IV असाधारण में, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाले दिल्ली के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, उस तिथि से सात दिन की अवधि बीतने से पहले इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिये प्रकाशित किया गया।

और, उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

अतः अब मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (2) तथा धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ओ) तथा (पी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियमावली

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.– 1. (1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (चौथा संशोधन), नियमावली, 2014 कहा जाएगा।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

नियम 44 का संशोधन.– 2. दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) का मूल नियम 44 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"44 मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर का अनुरक्षण – मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर का अनुरक्षण पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, के प्रपत्र 41 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 44क तथा 44ख का विलोपन किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ज्ञानेश भारती, सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th November, 2014

No. F. DC/OPS/Tpt/285/2014/232.—Whereas the draft of the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014 was published as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, No.F. DC/OPS/Tpt/285/2014/110, dated the 16th June, 2014 in the Delhi Gazette Part-IV Extraordinary inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of seven days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, no objection/suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (o) and (p) of sub-section (2) of section 65, read with clause (41) of section 2 and sub-section (2) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely :—

RULES

Short title and Commencement.—1. (1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

Amendment of rule 44.— 2. In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, (hereinafter referred to as the said Rules), for rule 44 the following shall be substituted, namely :—

"44. Maintenance of State Register of Motor Vehicles.—The State Register of Motor Vehicles shall be maintained by the registering authority in the electronic format in Form 41 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989."

3. In the said Rules, rules 44 A and 44 B shall be deleted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

GYANESH BHARTI, Secy.-cum-Commissioner (Transport)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.